



भारतीय  
अनुसंधान  
केन्द्र

**भा.कृ.आ.प.—राष्ट्रीय उष्टु अनुसंधान केन्द्र**  
**I.C.A.R.- NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL**  
पोस्ट बैग—07, जोड़बीड़, बीकानेर 334001(राज.)भारत  
**Post Bag-07, Jorbeer, Bikaner 334001 (Raj.) India**



केन्द्र में उच्चतम बोली के आधार पर दुकानें आवंटित करने हेतु विज्ञापन सूचना

निदेशक, रा.उ.आ.केन्द्र, बीकानेर, की ओर से इस केन्द्र के परिसर में स्थित दुकानों A, B, C, D एवं E को उच्चतम बोली के आधार पर आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत सूचना, नियम / शर्तें, आवेदन प्रपत्र, आवेदन शुल्क, EMD, आदि इस केन्द्र की वेबसाइट [www.nrcccamel.icar.gov.in](http://www.nrcccamel.icar.gov.in) पर उपलब्ध है। इस सम्बंध में कोई भी बदलाव हेतु केन्द्र की वेबसाइट पर सूचित किया जायेगा, समाचार पत्र / अन्य माध्यम से नहीं। अतः आवेदनकर्ता केन्द्र की वेबसाइट को समय—समय पर देखते रहें।

(अखिल ठुकराल)  
प्रशासनिक अधिकारी

**भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर में उपलब्ध दुकानों को खुली बोली  
के माध्यम से आवंटन करने हेतु आवेदन को प्रारूप**

1. फर्म/संस्था का नाम .....
2. फर्म/संस्था का पता.....
3. फर्म/संस्था के प्रतिनिधि का आधार कार्ड सं. ....  
(साक्ष्य की प्रति संलग्न करें)
4. फर्म/संस्था के प्रतिनिधि का पैन कार्ड सं. ....  
(साक्ष्य की प्रति संलग्न करें)
5. फर्म/संस्था का अनुज्ञा पंजीकरण नं. ....  
(साक्ष्य की प्रति संलग्न करें)
6. फर्म/संस्था का बैंक खाता विवरण .....
7. फर्म/संस्था का जी.एस.टी./उद्योग पंजीकरण नं. ....  
(जो भी लागु हो)
8. उद्देश्य जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है.....
9. फर्म/संस्था का अनुभव .....  
(यदि हो तो)
10. आवेदन शुल्क का विवरण डी.डी./चैक नं..... दिनांक ..... रु. 1000/-
11. फर्म/संस्था के मालिक/प्रतिनिधि के मोबाइल नं. .... ई.मेल.....

आवेदन कर्ता  
का  
नवीनतम फोटो

**नोट:-**

1. आवेदन पत्र के साथ संबंधित सभी साक्ष्यों की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. आवेदन पत्र की जाँच के उपरान्त वैध आवेदन प्रस्तुत कर्ता को ही बोली में भाग लिये जाने का अवसर दिया जायेगा। बोली की कार्यवाही से पूर्व धरोहर राशि के रूप में रु. 10,000.00 नगद जमा कराने होंगे।
3. उच्चतम बोलीदाता को ही दुकानों का किराये के लिए आवंटन किया जायेगा।
4. एक फर्म/संस्था को एक ही दुकान आवंटित की जावेगी।

नाम –

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

पता –

मोबाइल नं. –

ई.मेल –

**प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने केन्द्र की दुकानों को आवंटन हेतु संलग्न नियम व शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया है जो मुझे/हमें पूर्ण रूप से स्वीकार है। हमाने संज्ञान में यह भी है कि इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जो निर्णय लिया जावेगा वह पूर्ण रूप से स्वीकार है तथा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु मैं/हम योग्य नहीं हैं।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर



### केन्द्र परिसर में उपलब्ध दुकानों के आवंटन की नियम व शर्तें

केन्द्र परिसर में उपलब्ध दुकाने ए (Size 5X4 meter), बी (Size 04.10X2.30 meter), सी (Size 6X3 meter), डी (Size 6X3 meter), एवं ई (Size 6X8.90 meter) को उष्टु पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु उष्टु से संबंधित निर्मित उत्पादों, हस्तकला, शिल्पी, राजस्थानी परम्परा के अनुसार वस्त्र विक्रय, अन्य सामान जो जनउपयोगी (खाद्य को छोड़कर) हो इत्यादि विक्रय करने वाली इच्छुक फर्म, सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था, स्वयं सेवी संस्था, लघु उद्योग संस्था इत्यादि जो केंद्र अथवा राज्य सरकार से पंजीकृत हो, किराये/अनुबंध के आधार पर दुकाने आवंटन करने के लिए संबंधित से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्हें खुली बोली के माध्यम से उच्चतम प्रतिमाह किराये की दर पर आवंटन किया जाना है। खुली बोली की नियम व शर्तें नुमानुसार हैं-

1. संबंधित फर्म/संस्था केंद्र की वेबसाइट से आवेदन पत्र को डाउनलोड कर 1000.00 रूपए आवेदन शुल्क (non-refundable) डीमांड ड्राफ्ट के साथ दिनांक 05.06.2023 को केन्द्र पर समय दोपहर 01:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। डीमांड ड्राफ्ट ICAR-NRCC, Bikaner के नाम से देय होगा।
2. प्राप्त आवेदन पत्रों की तकनीकी जाँच के उपरांत जो आवेदन पत्र तकनीकी रूप से वैध पाए जाएंगे वही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर्ता फर्म/संस्था बोली में भाग लेने के लिए पात्र होगी।
3. संबंधित फर्म/संस्था को रूपए 10,000.00 धरोहर राशि (EMD) बोली प्रारंभ से पूर्व नगद जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता को 12 माह के किराये का 10% सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी, जो अनुबंध की अवधि पूर्ण होने पर लोटाई जावेगी। असफल बोली दाता की धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) नियमानुसार तुरंत लोटाई जावेगी।
4. दुकान का आवंटन उच्चतम मासिक किराया दर प्रस्तुत कर्ता/बोलीदाता फर्म/संस्था को ही आवंटित किया जावेगा।
5. एक फर्म/संस्था को एक ही दुकान का आवंटन किया जावेगा। आवंटन के उपरांत दूसरी दुकान के आवंटन हेतु फर्म बोली लगाने के लिए पात्र नहीं होगी।
6. प्रथम बार दुकान को एक वर्ष के लिए (आदेश जारी करने कि तिथि से) आवंटित की जावेगी। जिसे सक्षम प्राधिकारी महोदय दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर आगे दो वर्ष तक (कुल 3 वर्ष) बढ़ाया जा सकता है। उक्त विशेष परिस्थिति में, सक्षम प्राधिकारी महोदय अवधि बढ़ाने (अधिकतम एक वर्ष) हेतु सक्षम है।
7. दोनों पक्षों की तरफ से 30 दिनों की सूचना द्वारा आवंटन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। हालांकि निदेशक महोदय को बिना किसी कारण बताए किसी भी समय किसी भी आवंटी के अनुबंध को समाप्त/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
8. आवेदनकर्ता को केंद्र में किसी भी जानवर को रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को केंद्र में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवेदनकर्ता को दुकान में कार्य निष्पादन हेतु रखे जाने वाले प्रतिनिधियों/कर्मचारियों की पूर्वानुमति सक्षम प्राधिकारी महोदय से लेनी होगी। आवश्यकता होने पर उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी।
9. जिस फर्म के नाम का आवंटन हुआ है, उस फर्म की दुकान के नाम की पट्टी (कम से कम 3' x 1' साईज) लगानी अनिवार्य होगी।

10. केन्द्र परिसर में धूम्रपान, नशीले पदार्थों एवं शराब का सेवन वर्जित है। अत आवेदनकर्ता एवं उसके प्रतिनिधि को इसका पूर्णरूप से पालन करना होगा।
  11. भारत सरकार द्वारा डीजिटलाईजेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है अत फर्म के पास डिजिटल भुगतान हेतु POS मशीन/पे टी एम अथवा अन्य डिजिटल भुगतान के लेन देन की सुविधा होनी चाहिए।
  12. आवेदन कर्ता द्वारा आवंटित दुकान को खोलने एवं बंद करने का समय प्रात कार्यालय के खुलने तथा सांय पर्यटकों के लिए निर्धारित अवधि के आधे घंटे बाद तक रहेगा।
  13. आवेदन कर्ता का आवंटित दुकानों में उष्ट्र एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उष्ट्र उत्पाद, सामानों, हस्तकला, हस्तशिल्पी, एवं राजस्थानी परम्परा के अनुसार (Traditional handicraft items) बने हुए सामान, वस्त्र, इत्यादि का विक्रय के लिए प्राथमिकता देनी होगी। आवंटी द्वारा विक्रय किए जाने वाले सामानों का प्रदर्शन दुकान के बाहर गेलरी में नहीं किया जायेगा।
  14. आवेदनकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/संस्था को सबलेट नहीं करेगा।
  15. आवेदन कर्ता का जो सामान केंद्र द्वारा पार्लर पर विक्रय किए जाते हैं, ऐसे सामानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के खाने पीने के सामानों का विक्रय नहीं किया जावेगा।
  16. आवेदन कर्ता को दुकान किराया एक वर्ष का एक मुश्त चैक/डी डी के माध्यम से अग्रिम, केन्द्र के केशियर के पास जमा करना होगा। बिजली खर्च, केन्द्र की सम्पदा ईकाई के बताए अनुसार मीटर रीडिंग के आधार पर अलग से मासिक जमा करना होगा। मीटर रीडिंग की उपभोग के अनुसार मासिक शुल्क जमा नहीं करवाने पर दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
  17. बोली छूटने के पश्चात एक वर्ष के किराये के अनुसार 25% राशि तुरंत जमा करानी होगी बकाया राशि 75% अनुबंध के साथ चैक/ड्राफ्ट के रूप में ली जायेगी।
  18. आवेदन कर्ता, केन्द्र की आवंटित दुकान एवं क्षेत्र की संपत्ति के संबंध में सभी सुरक्षा उपाय स्वयं करेगा और यह केन्द्र, चोरी, आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।
  19. अनुबंध कर्ता फर्म द्वारा दुकान पर विक्रय सामग्री की गुणवत्ता, मूल्य, स्नोत इत्यादि के लिए फर्म स्वयं जिम्मेवार होगी।
  20. आवेदन कर्ता को एक वर्ष की समाप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी महोदय की अनुमति पश्चात द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिए अनुबंध बढ़ाने की अवस्था में किराया राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ एक मुश्त किराया राशि एक वर्ष की अग्रिम जमा करानी होगी।
  21. केन्द्र द्वारा अनुसंधान के साथ साथ पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। पर्यटन के उद्देश्य से केंद्र में भारतीय एवं विदेशी सेलानी का आवागमन बना रहता है। जिसके लिए आवेदन कर्ता द्वारा ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार और स्वभाव सुनिश्चित किया जावेगा। साथ ही किसी भी सेलानी के साथ धोखाधड़ी (चीटिंग) नहीं की जावेगी।
  22. आवेदन कर्ता द्वारा अनुबंध के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी एवं उसका अनुबंध निरस्त करते हुए कालीसूची (Blacklist) में करते हुए भविष्य में दुकान आवंटन के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
  23. आवेदनकर्ता द्वारा बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट एवं उपभोज्य सामान इत्यादि के खराब होने कि अवस्था में अपने स्तर पर प्रतिस्थापन/बदलने की व्यवस्था करेगा।
  24. दुकानदार दुकान और परिसर को साफ सुथरी स्थिति में बनाए रखेगा एवं निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना उसे आवंटित की गई दुकान में कोई संशोधन और परिवर्तन नहीं करेगा।
  25. आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा केंद्र पर उपस्थित पर्यटकों/ विदेशी सेलानी को गाइड का कार्य नहीं करेगे।
  26. आवेदनकर्ता द्वारा सात दिवस के भीतर नियमानुसार नॉन जुडीसीअल स्टंप पेपर पर अनुबंध करना होगा।
- 

27. आवेदनकर्ता को दुकान आवंटन के पश्चात दुकान में फर्नीचर इत्यादि की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
28. दुकानदार द्वारा अनुबंधित अवधि में आवंटित दुकान अथवा केन्द्र की संपत्ति को किन्हीं कारणों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है, तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा एवं निदेशक महोदय को अनुबंधकर्ता से केंद्र की संपत्ति को किए गए ऐसे नुकसान की लागत को वसूलने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
29. आवेदनकर्ता को केन्द्र पर प्रचलित नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। केन्द्र/पर्यटन हित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय अन्य नियम व शर्तें जो भी आवश्यक एवं उपयोगी हो, का पालन आवेदनकर्ता को करना होगा।
30. दुकाने आवंटित किए गए दुकानदारों का किसी भी सामान या वस्तु के खरीदने बेचने का किसी भी प्रकार का आपसी विवाद स्वीकार्य नहीं होगा ऐसा होने पर दुकानदार/दुकानदारों का तुरंत अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
31. अनुबंध कर्ता फर्म की अनुबंध अवधि समाप्त होने पर एवं/अथवा अनुबंध नहीं बढ़ाए जाने पर एवं/अथवा नियत अवधि में फर्म द्वारा किराया जमा नहीं करवाने पर, केंद्र द्वारा लिखित नोटिस जारी करने के पश्चात्, केंद्र कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा एवं/अथवा केंद्र, ताला तोड़ कर सामान जब्त करने एवं/अथवा दुकान का कब्जा लेने के लिए भी स्वतंत्र होगा।
32. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।



19/05